

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

राजेश चण्डा	बनाम	माधुलाल व अरुण
-------------	------	----------------

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 14 /2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/08/25	वकील अपीलान्त अनुपाक्षित । वकील रैस्पोजेन्सिबल 2, 4, 5, 6 उपाक्षित । वकील अपीलान्त को - पापक्षित में अमानत दिनांक आकर पत्रावली दिनांक 1/09/25 को पेश है।	
11/09/25	वकील अपीलान्त अनुपाक्षित । पीछसीन अधिकारी मुक्त प्रशासनिक कार्य में खेने से प्रकरण वास्ते सुनवाई/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/09/25 को पुनर्दिशानुसार पेश हो। 3/0/1	
10/09/25	अपीलान्त मय वकील अनुपाक्षित । अपीलान्त को कई बार अधेशा दिदे जाते के बावजूद भी रैस्पोजेन्सिबल 1 व 3 के वारिसों की नाम कायमी नहीं करायी गयी। इत प्रकार अपीलान्त द्वारा अधेशा की पालना नहीं की गयी न ही अपीलान्त अथवा उसके वकील लगातार पेशीयों पर उपाक्षित हो रहे हैं ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त उसकी अदम हाजिरी व अदम पेशी में शरिज की जाती है। मिसल फौसल शुमार है।	

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)